कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 44/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 01.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 01.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट
थाना– सरायमीर, जनपद– आजमगढ़
मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में थाना सरायमीर पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 30.01.2026 को थाना सरायमीर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 28.01.2026 को एक नाबालिग बालिका को अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर जबरन भगा ले जाया गया। विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी भी दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 32/2026 अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग होने के दृष्टिगत पॉक्सो एक्ट की धाराओं की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण—

दिनांक 30.01.2026 को थाना सरायमीर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कस्बा सरायमीर क्षेत्र से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त—

विकास गौड पुत्र बालगोविन्द, निवासी कस्बा सरायमीर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

उ0नि0 पंकज यादव

का0 विपिन पटेल

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

☐ मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए आजमगढ़ पुलिस उनकी सुरक्षा, सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा हेतु सतत् प्रतिबद्ध है।

प्रेस नोट

दिनांक – 01.02.2026

जनपद – आजमगढ़

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद आजमगढ़ के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 01.02.2026 को थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कुल 10 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को दूरभाष/नोटिस के माध्यम से सूचित कर मीडिएशन हेतु बुलाया गया, जिनमें से 09 प्रकरणों में दोनों पक्ष उपस्थित रहे। अथक प्रयासों के उपरांत 01 पत्रावली में सफल समझौता कराया गया, जिसमें पति द्वारा कम दान-दहेज के कारण मारपीट एवं घर से निकालने का आरोप था।
इसके अतिरिक्त—

➡ 02 पत्रावलियों में दोनों दम्पत्ति कुशलता प्रकट करने आए।

➡ 04 पत्रावलियों को अन्य कारणों से बन्द किया गया।

नई किरण परियोजना का उद्देश्य बिखरे हुए परिवारों को पुनः एक सूत्र में बाँधना है, जिससे न केवल पारिवारिक विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान हो सके, बल्कि माननीय पारिवारिक न्यायालयों पर कार्यभार भी कम हो।

उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी—
काउंसलर डॉ0 उमेशचन्द्र पाण्डेय, श्री गिरीश सिंह पटेल,
उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी (प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ),
उ0नि0 सत्यनारायण यादव (प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ),
आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता,
महिला आरक्षी नेहा सिंह उपस्थित रहीं।

➡ कुल समझौते – 01